न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1007/1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–8–1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 501/अ6/अपील/1885–86.

1. श्री रामावतार (मृत) वारि–
   बिहारीलाल पुत्र रामावतार
2. श्री बीरभान तनय श्री ईश्वरदीन
   निवासी घोंपी तहसील सिरमौर
   जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती अगनू देवी पत्नी श्री मथुरा प्रसाद पटेल
निवासी घोंपी तहसील सिरमौर
जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदिका

.....

श्री पी0के0तिवारी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदिका

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 06/06/2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–8–1994 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम घोंपी तहसील सिरमौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 844 रकवा 1.38 एकड़ पर आवेदकगण का कब्जा दर्ज होने पर अनावेदिका द्वारा संहिता की धारा 116 के अर्न्तगत आवेदन नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। नायब तहसीलदार के

आदेश दिनांक 29–11–84 के द्वारा अनावेदिका का कब्जा दर्ज कर दिया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29–7–86 के द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर आवेदकगणों के हित में अंकित की गई कब्जा संबंधी पूर्व प्रविष्टियों को यथावत रखा। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका ने अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 27–8–94 के द्वारा अनावेदिका की अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश बहाल किया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि व्यवहार न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विवादित भूमि पर आवेदकगण का कब्जा पाया तथा आवेदकगण के कब्जे की सुरक्षा की गई, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण का वर्ष 1982–83 के पूर्व से कब्जा दर्ज है इसी कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष कि 15 वर्ष पूर्व विकी से कब्जा का अवधि बाह्य है, त्रुटिपूर्ण है क्योंकि व्यवहार न्यायालय ने आवेदकगण का कब्जा सिद्ध माना है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि आवेकदगण द्वारा चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश रीवा के समक्ष विवादास्पद भूमि के स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया था जो आदेश दिनांक 30–10–98 द्वारा निरस्त किया गया तथा इसी प्रथम अपील द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के समक्ष प्रस्तुत की थी जो आदेश दिनांक 23–3–2000 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया कि तहसील न्यायालय ने विधिवत अनावेदिका

का कब्जा पाते हुये अनावेदिका का नाम अंकित करने के आदेश दिये थे जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी सही पाया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश रीवा का वाद कमांक 312ए/95 में पारित आदेश दिनांक 30–10–98 एवं प्रथम अपील द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश रीवा के समक्ष प्रस्तुत अपील कमांक 35ए/98 आदेश दिनांक 23–3–2000 के प्रति संलग्न जिसके द्वारा यह स्पष्ट है कि आवेदकगण के विचाराधीन के स्वत्व घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी वाद निरस्त किये जा चुके है तथा व्यवहार न्यायालयों द्वारा आवेदकगण का कब्जा भी नहीं माना है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण के पक्ष में साक्ष्य भी कब्जे को सिद्ध नहीं कर सके तथा अनावेदिका का कब्जा लगातार भूमिस्वामती हक से सिद्ध पाया। अपर आयुक्त द्वारा पूर्ण विवेचना कर अनावेदिका का कब्जा सिद्ध पाते हुये नायब तहसीलदार का आदेश को उचित पाया। अपर आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 27–8–94 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर